

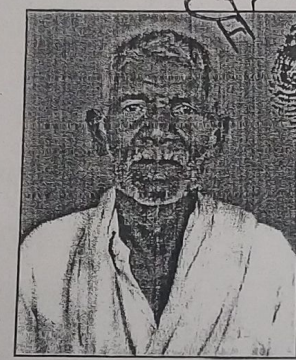


प्रदेश UTTAR PRADESH

F 158875

F 158875

20000
21964



विक्रय-पत्र

बिक्री 10,50,000/- मालियत 26,34,000/- स्टाम्प 1,84,500/-

लेख-पत्र का संक्षिप्त विवरण :

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1. भूमि का प्रकार | - कृषि |
| 2. परगना | - प्रतापगंज |
| 3. ग्राम | - छेदानगर वी-कोड-1351 पृष्ठ-96 |

मि. अ. सुथरा

V.R.



25000

पच्चीस हजार रुपये



Treasury Officer
BARABANKI
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

22 JUN 2016

ST. T.O./A.T.O.

UTTAR PRADESH

F 158785

F 158785

(2)

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 4. | सम्पत्ति का विवरण नं० | - | 1249 व 1317 व 1318 |
| 5. | मापन की इकाई | - | हे० |
| 6. | क्षेत्रफल | - | 0.1485 हे० |
| 7. | सड़क की स्थिति | - | कुछ नहीं |
| 8. | अन्य | - | गाटा संख्या 1317 व 1318
की 0 से 100 मीटर की त्रिज्या
में आवासीय गतिविधि। |

नि. अ. प्रथुरा



15984 Syt





TAR PRADESH

F 158874

F 158874

(3)

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 9. सम्पत्ति का प्रकार | - कृषि/सड़क से हटकर |
| 10. पेड़ों का मूल्यांकन | - कुछ नहीं |
| 11. बोरिंग कुआं व अन्य | - कुछ नहीं |
| 12. सरकारी दर | - 72,00,000/- प्रति हे0 व |
| | - 1,45,00,000/- प्रति हे0 व |
| | - 5,000/- प्रति वर्गमीटर |
| 13. प्रतिफल की धनराशि | - 10,50,000/- |

नि.म. मन्पुरा



✓ Rm





देश UTTAR PRADESH

F 158884

F 158884

(4)

14. चौहद्दी गाटा संख्या 1249-

पूर- खेत गाटा संख्या 1314 व 1315, पश्चिम- खेत गाटा संख्या 1248, उत्तर खेत गाटा संख्या 1230 व 1251, दक्षिण खेत गाटा संख्या 1245.

चौहद्दी गाटा संख्या 1317 व 1318 जो आपस में मिले है।

पूरब खेत मथुरा पश्चिम खेत महिपाल उत्तर खेत छंगादास दक्षिण खेत पुत्तीलाल।

मि. मथुरा



मि.



25000

पच्चीस हजार रुपये



25000

वसिष्ठ कोषाधिकारी
बाराबंकी
TENTY FIVE THOUSAND RUPEES
28 JUN 2016

UTTAR PRADESH

F 158883

F 158883

(5)

प्रथम पक्ष संख्या 1
विक्रेता का विवरण

द्वितीय पक्ष संख्या 1
क्रेता का विवरण

मथुरा पुत्र राम लाल
निवासी ग्राम छेदानगर परगना
प्रतापगंज परगना व तहसील
नवाबगंज जिला बाराबंकी।
नि०का०सं०-UP/29/142/621465
Mobile No. :

स्टैलियन इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि०
Cin No. U70102UP2014PTC067353
द्वारा डायरेक्टर विशाल पुत्र सुजान
निवासी म०नं०-41 मोहल्ला
विशम्भरपुर गनियारी परगना व
तहसील व जिला देवरिया।
PAN-ANQPC5778A
Mobile No. 7800001250

नि. मथुरा



✓





AR PRADESH

1 158882

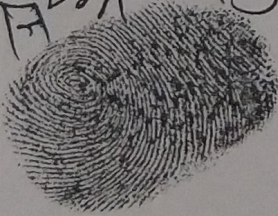
F 158882

(6)

-:: लेखपत्र का सम्पूर्ण विवरण ::-

हम मथुरा पुत्र राम लाल निवासी ग्राम छेदानगर परगना प्रतापगंज परगना व तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी प्रथम पक्ष विक्रेता व स्टैलियन इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि० द्वारा डायरेक्टर विशाल पुत्र सुजान निवासी म०नं०-41 मोहल्ला विशम्भरपुर गनियारी परगना व तहसील व जिला देवरिया द्वितीय पक्ष क्रेता। हम दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं एवं दोनों पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं।----

मि. मथुरा



मि.



रु. 1000

23 JUN 2016
Rs. 1000

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

AR 867067

(11)

बिक्रीत भूमि किसी मुख्य मार्ग या अन्य मार्ग या खड़न्जा मार्ग पर नहीं है। इससे सम्बन्धित इससे पूर्व कोई इकरारनामा बय नहीं किया है। यह प्रथम पक्ष की पुश्तैनी सम्पत्ति है इसमें कोई निर्माण नहीं है तथा बिक्रीत भूमि में पेड़ व बोरिंग व कुओं व अन्य कोई निर्माण नहीं है। इसकी 0 से 200 मीटर की त्रिज्या के मध्य कोई आवासीय व औद्योगिक व व्यवसायिक गतिविधि नहीं है परन्तु गाटा संख्या 1317 व 1318 की 0 से 100 मीटर की त्रिज्या में आवासीय गतिविधि विद्यमान है।---

सि. म. मथुरा



✓





श UTTAR PRADESH

AR 867066

(12)

विक्रीत भूमि पूर्णतया कृषि भूमि है। विक्रीत भूमि की गाटा संख्या 1249 रकबा 0.291हे0 जिसमें प्रथम पक्ष 1/3 भाग की भूमि का पूर्णतया स्वामी है जिसमें से 0.0559हे0 भूमि बेचा है जिसकी मालियत सरकार द्वारा निर्धारित 72,00,000/- रुपया प्रति हे0 की दर से मु0 4,03,000/- रुपया होती है।---

नि.म. मयपुरा



✓ Rm



रु. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES

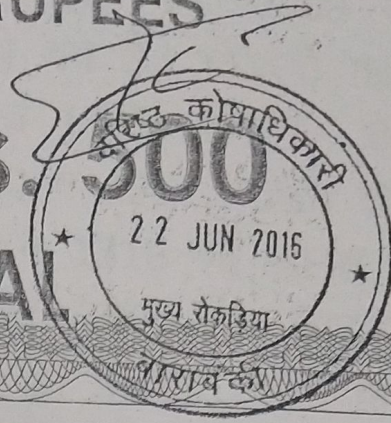


सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL



श UTTAR PRADESH

Y 350105

(13)

व गाटा संख्या 1317 रकबा 0.250हे0 व 1318 रकबा 0.028हे0 कुल दो किता रकबा 0.278हे0 जिसमें प्रथम पक्ष 1/3 भाग की भूमि का पूर्णतया स्वामी है में से 0.0926हे0 भूमि बेचा है जिसमें से 0.025हे0 भूमि की मालियत सरकार द्वारा निर्धारित 5,000/- रुपया प्रति वर्गमीटर की दर से मु0 12,50,000/- रुपया होती है।--

नि. मयुरा



रम



व शेष 0.0676 हे० भूमि की मालियत सरकार द्वारा निर्धारित 1,45,00,000/- रुपया प्रति हे० की दर से मु० 9,81,000/- रुपया है इस प्रकार विक्रीत भूमि की कुल मालियत मु० 26,34,000/- रुपया होती है। जिस पर अधिसूचना आदेश संख्या स०वि०क०नि०-5-2756/11-2008-500 (165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2008 के अन्तर्गत मु० 1,84,500/- रुपये के स्टाम्प दिये गये हैं। चौहद्दी गाटा संख्या 1249- पूबर- खेत गाटा संख्या 1314 व 1315, पश्चिम- खेत गाटा संख्या 1248, उत्तर खेत गाटा संख्या 1230 व 1251, दक्षिण खेत गाटा संख्या 1245. चौहद्दी गाटा संख्या 1317 व 1318 जो आपस में मिले हैं। पूरब खेत मथुरा पश्चिम खेत महिपाल उत्तर खेत छंगादास दक्षिण खेत पुत्तीलाल। लेख पत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का पूर्णतया सत्यतापूर्वक उल्लेख कर दिया गया है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उक्त विक्रय पत्र पक्षकारों द्वारा दिये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी हम दोनों पक्षों पर होगी। उक्त विक्रीत भूमि में कोई स्टाम्प वाद नहीं है व कोई मध्यस्थ नहीं है। लेखपत्र को उभय पक्षों ने भली-भांति पढ़ व सुन व समझकर हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा किया है। तथा प्रथम पक्ष ने अपनी आवश्यकता के लिए नगद रुपया प्राप्त कर लिया है। तथा दोनों पक्षों के फोटो की पहचान उनके द्वारा दाखिल कराये गये साक्ष्य के आधार पर की गयी है। जिसकी फोटो प्रति साथ में संलग्न है। विक्रीत सम्पत्ति पर किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं है।-----

नि. मथुरा

✓



आज दिनांक 02/07/2016 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 9796

पृष्ठ सं. 103 से 142 पर क्रमांक 12008

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आर०के०श्रीवास्तव (प्र०)

उप निबन्धक नवाबगंज

बाराबंकी

2/7/2016

